करना है, तो विरोधी दल उतना आवश्यक नहीं है कि जितना भारत के इस नये राष्ट्र को उन्नतिशील बना कर, इससे जलने वाले दूसरे राष्ट्रों को उनकी कुचाल में सफलता प्राप्त न होने देने के लिये यहां के राष्ट्रीय नेता का साथ देना आवश्यक है ।

हमने काश्मीर का एक नन्हा सा प्रश्न देखा । जब यहां की विदेशी सत्ता ने अपना शासन हमको सौंप दिया, वे यहां से रवाना हुये, देश का विभाजन हुआ, यहां के देशी रजवाड़ों को यह अधिकार मिल गया कि वे जहां चाहे जायें, जो चाहें. करें, उनकी नकेल कट गई, उनका बन्धन कट गया और वे इसके लिये स्वतन्त्र हो गये कि जिधर चाहें जायें । ऐसी स्थिति पैदा होने में पाकिस्तान की निगाह काश्मीर की खूबसूरत वैली की ओर चली गई और आक्रमणकारियों ने जब काश्मीर पर कब्जा करना चाहा, तब उनको इस कुचाल से रोकने के लिये इस प्रश्न को ले कर हम सीक्योरिटी कौंसिल में प्रविष्ट हुये थे ।

अलबत्ता बात यह थी, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने कितने ही भाषणों में और प्रेस विज्ञप्तियों में कहा है कि केवल राजा ने अपने को, काश्मीर को, हिन्दुस्तान के साथ मिलाने की घोषणा कर दी है परन्तु हम इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हैं, हम प्रजा की भावना का आदर करने वाले हैं और अगर काश्मीर की प्रजा चाहेगी, तो उसको इस बात में निर्णय करने का अधिकार होगा ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can continue your speech tomorrow. Mr. Shah

THE BUDGET (GENERAL), 1957-53

THE MINISTER FOR REVENUE AND CIVIL EXPENDITURE (SHRI M. C. SHAH) : Sir, I beg to lay on the Table a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government. of India for the year 1957-58.

—

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. THE SEA CUSTOMS (AMENDMENT) BILL, 1957.

II. THE FOREIGNERS LAWS (AMENDMENT) BILL, 1957.

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following Messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:

I

"In accordance with the provisions of Rule 133 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Sea Customs (Amendment) Bill, 1957, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 19th March, 1957."

II

"In accordance with the provisions of Rule 133 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Foreigners Laws (Amendment) Bill,. 1957 as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 19th March, 1957."

I lay these Bills on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at thirty-two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 20th March 1957!